संशोधित

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम इलाहाबाद क्षेत्र
निविदा सूचना

इलाहाबाद क्षेत्र की प्रतापगढ़ डिपो कार्यशाला में, मासिक किराये के आधार पर साइलेन्ट जनरेटर लगाने के लिये निविदा आमंत्रित की जाती है। इस हेतु इच्छुक हो तो अपनी निविदा/प्रस्ताव सादे कागज पर दिनांक 15.11.2016 को जमा होने वाली व खोलने की तिथि अपरिहार्य कारणों से तिथि में परिवर्तन किया जाता है। उक्त कार्यवाही दिनांक 22.11.2016 को समय 15.00 बजे तक निर्धारित की जाती है। उक्त निविदा धारक सेवा प्रबन्धक, कार्यालय, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, झूंसी इलाहाबाद, में रखे निविदा बाक्स में डाल सकते है, उसके बाद प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय क्षेत्रीय समिति द्वारा लिया जायेगा। 03 वर्ष उपरान्त कार्य संतोषजनक पाये जाने पर पुनः 02 वर्ष हेतु नवीनीकरण किया जा सकेगा। कार्यशाला एवं बस स्टेशनों का विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0सं0	कार्यशाला/बस स्टेशन का नाम	क्षमता
1	प्रतापगढ डिपो कार्यशाला	63 के0वी0ए0

शर्तें

1. जनरेटर की क्षमता उपरोक्तानुसार होनी चाहिए।
2. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् एक सप्ताह के अन्दर नया जनरेटर लगाना होगा।
3. जनरेटर का संचालन निविदाकर्ता द्वारा अपने कार्मिक के द्वारा ही कराया जायेगा। जनरेटर द्वारा पावर बैक अप की सुविधा 24 घंटे के आधार पर उपलब्ध करानी होगी। जनरेटर खराब होने की स्थिति से संचालन हेतु दूसरा जनरेटर तत्काल उपलब्ध कराना होगा।
4. जनरेटर के संचालन हेतु आपरेटर, डीजल, मोबिल आयल, मेन्टीनेन्स एवं कलपुर्जे आदि का व्यय निविदा दाता ही वहन किया जायेगा। निविदा दाता द्वारा जो आफर दिया जाय वह 03 वर्ष की अवधि के आधार पर दिया जायें तथा उसमें सभी टैक्सों का समायोजन हो।
5. किराये पर लगने वाले जनरेटर में इलैक्ट्रानिक मीटर लगा (Inbulilt) होना चाहिए, ताकि टेम्परिंग न की जा सकें।
6. किराये पर लगने वाले जनरेटर की लागबुक मेन्टेन की जायेगी। जिस पर सम्बन्धित फोरमैन/केन्द्र प्रभारी प्रतिदिन अपने हस्ताक्षर करेगें। सम्बन्धित सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक सप्ताह में एक बार तथा सेवा प्रबन्धक माह में एक बार लागबुक अवलोकित कर अपने हस्ताक्षर करेंगे।
7. किराये पर लगाये गये जनरेटरों पर होने वाले व्ययों की प्रति 03 माह में समीक्षा की जायेगी।
8. निविदा स्वीकृत होने पर किराये पर जनरेटर लगाने हेतु अनुबन्ध निष्पादित करना होगा, अनुबन्ध हेतु स्टैम्प पेपर निविदा दाता द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
9. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ध्वनि एवं वायु प्रदूषण की अनापत्ति यदि आवश्यक हो तो जनरेटर संचालक को स्वतः लेनी होगी।

Downloaded from www.upsrtc.com

10. 63 के0वी0ए0 से कम पावर के जनरेटर हेतु रू0 7500.00 एवं 63 के0वी0ए0 अथवा उससे ज्यादा पावर जनरेटर हेतु रू0 10000.00 अर्नेष्टमनी का ड्राफ्ट प्रत्येक यूनिट हेतु अलग–अलग सेवा प्रबन्धक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम इलाहाबाद के पक्ष में देय हों, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् अर्नेष्टमनी का ड्राफ्ट निगम कोष में प्रतिभूत राशि के रूप में जमा करा दी जायेगी और जो निविदा स्वीकृत नहीं होगी उसकी अर्नेष्टमनी का ड्राफ्ट निविदाकर्ता को वापस कर दिया जायेगा।

11. जनरेटर का ट्रान्सपोटेशन, इन्सटोलेशन इत्यादि का व्यय(यदि आवश्यक हों) एवं अर्थिंग का कार्य फर्म को अपने व्यय पर कराना होगा।

(आर0एन0वर्मा)
सेवा प्रबन्धक

कार्यालय सेवा प्रबन्धक
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम
इलाहाबाद।

पत्रांक–2873 / इला0 / से0प्र0 / संचालन / जनरेटर / टेण्डर / 16 दिनांक 10.11.2016

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रावि0 / संचा0) परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
2. सहायक प्रबन्धक(ई0डी0पी0) परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को बेवसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
3. क्षेत्रीय प्रबन्धक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ कि उक्त टेण्डर को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कराने कराने का कष्ट करें।
4. सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त) उत्तर प्रदेश परिवहन निगम इलाहाबाद।
5. सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, प्रतापगढ डिपो को इस आशय से कि कृपया उक्त टेण्डर नोटिस को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
6. सीनियर फोरमैन / वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी प्रतापगढ डिपो को इस आशय से कि कृपया उक्त टेण्डर नोटिस को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
7. नोटिस बोर्ड सेवा प्रबन्धक कार्यालय उत्तर प्रदेश परिवहन निगम इलाहाबाद।

सेवा प्रबन्धक

Downloaded from www.upsrtc.com